हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म का तामील ...
9/11/21	वादीगण की ओर से अर्ज वाद मय नकलात के पेश किया, रिपोर्ट सरिश्ता हो की गई। वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी क्र. 1 ता 12 की ओर से जवाबदेह गौतम ने वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया, नकल वकील वादी को दी गई। प्रति क्र. 13 राज्य सरकार शामिल पत्रावली है। वकील वादी द्वारा बहस की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर दावा स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। मैंने द्वारा पत्रावली का सावधानी से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रिकार्ड, नकल जमाबंदी, रजिस्टर्ड हकत्याग विलेख पत्र, इकबाली जवाब दावा व रिपोर्ट का अवलोकन करने पर उक्त रिकार्ड के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रा. किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	धीरजलाल बाबूलाल प्र.वा.: [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 148/2021

तारीख दायरा– 09.11.2021

उनवान

1. जमुनालाल पुत्र श्री गोपाल जाति गूर्जर निवासी कुदैत,
2. छोटूलाल पुत्र श्री गोपाल जाति गूर्जर निवासी कुदैत,
3. फूलचन्द पुत्र रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी कुदैत,
4. मुकुटबिहारी पुत्र श्री रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी कुदैत,
5. उदयलाल पुत्र श्री रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी कुदैत तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादीगण

बनाम

1. जगन्नाथी पुत्री गोपाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम कुदैत,
2. धन्नालाल पुत्र श्री गोपाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम कुदैत,

2/1. भैरूलाल पुत्र श्री धन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम कुदैत,

2/2. बाबूलाल पुत्र श्री धन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम कुदैत,

2/3. गुलाब बाई पुत्री श्री धन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम कुदैत,

2/4. रतन बाई पुत्री श्री धन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम कुदैत,

2/5. पुष्पा बाई बेवा श्री धन्नालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम कुदैत,

3. धनश्याम पुत्र श्री मोतीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम उमरदा,
4. राजेन्द्र पुत्र श्री मोतीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम उमरदा,
5. बद्री बाई पुत्री श्री मोतीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम उमरदा,
6. मनभर बाई पुत्री श्री मोतीलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम उमरदा,
7. जितेन्द्र पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर निवासी ग्राम उमरदा,
8. धर्मराज पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर निवासी ग्राम उमरदा,
9. कविता पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर निवासी ग्राम उमरदा,
10. कलावती बेवा श्री लक्ष्मीनारायण जाति गूर्जर निवासी ग्राम उमरदा,
11. लाडबाई पुत्री श्री रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी ग्राम कुदैत,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

...र पुत्री श्री रामप्रताप जाति गूर्जर निवासी कुदैत तह0 सांगोद जिला कोटा,

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री नरेश गौतम (वकील वादीगण)

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादीगण)

दिनांक :–09.11.2021

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस ...शय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 12 को अपने पूर्वजों से ...त्तराधिकार में प्राप्त खसरा नंबर 89 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नंबर 90 रकबा 0.36 हैक्टर, ...सरा नंबर 91 रकबा 0.35 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 1.06 हैक्टर, खसरा नंबर 415 रकबा ...01 हैक्टर, खसरा नंबर 416 रकबा 0.23 कुल किता 2 की कुल 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 417 ...कबा 1.64 हैक्टर आराजी वाके ग्राम कुदैत तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है तथा वादी कं. ..., 4, 5 व प्रतिवादी कं. 11, 12 के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 168 रकबा 0.97 ...क्टर पुश्तैनी आराजी वाके ग्राम कुदैत तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादपत्र की ...रण संख्या 1 की आराजी के संबंध में प्रतिवादी कं. 1 लगायत 12 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड क्रमांक 201903303100739 दिनांक 12.06.2019 से अपना हिस्सा वादीगण के हक में हकत्याग कर दिया था जिसके बाद वादीगण द्वारा इन्तकाल दर्ज करने हेतु दस्तावेज तहसील में पेश कर दिये थे किन्तु उसके पश्चात रिलीजकर्ता प्रतिवादी कं. 2 की मृत्यु हो जाने से पटवारी हलका द्वारा इन्तकाल दर्ज नहीं किया गया तथा दो वर्ष बाद 20.10.2021 को पटवारी हलका द्वारा कागजात वापस देते हुये वादीगण से कहा कि रिलीजकर्ता धन्नालाल की मृत्यु हो जाने से इन्तकाल दर्ज नहीं किया जा सकता है और न्यायालय में कार्यवाही करने की राय व्यक्त की। कानूनन प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित स्वयं का स... ...सा जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड क्रमांक 201903303100739 दिनांक 12.06.2019 से ... ...र देने के बाद उनका वादग्रस्त आराजी में हक समाप्त हो चुका है तथा उसी दिन से वादीगण वादग्रस्त आराजी के कानूनन खातेदार काश्तकार बन चुके हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में मुताबिक रिलीजडीड अमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

नहीं होने के कारण वादीगण को वादग्रस्त आराजी का उपयोग–उपभोग करने एवं सरकारी कृषि अनुदान योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी हो रही है।

अतः माल ग्राम कुदैत तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 89 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नंबर 90 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.35 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 1.06 हैक्टर, खसरा नंबर 415 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 416 रकबा 0.23 कुल किता 2 की कुल 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 417 रकबा 1.64 हैक्टर आराजी में वादी कं. 1 को 1/3 हिस्से का, वादी कं. 2 को 1/3 हिस्से का एवं वादी कं. 3, 4, 5 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी कं. 3, 4, 5 को खसरा नंबर 168 रकबा 0.97 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया जाने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की ओर से वकील श्री जयवर्द्धन गौतम द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 13 की बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी सं. 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा बहस की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर दावा स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख पत्र, इकबाली जवाब दावा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम कुदैत तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 89 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नंबर 90 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नंबर 91 रकबा 0.35 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 1.06 हैक्टर, खसरा नंबर 415 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 416 रकबा 0.23 कुल किता 2 की कुल 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 417 रकबा 1.64 हैक्टर आराजी में वादी कं. 1 को 1/3 हिस्से का, वादी कं. 2 को 1/3 हिस्से का एवं वादी कं. 3, 4, 5 को 1/3 हिस्से का तथा वादी कं. 3, 4, 5 को खसरा नंबर 168 रकबा 0.97 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल [illegible] किया जावें। विवादित आराजी पर [illegible] प्रभावी रहेगा। उक्तानुसार रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के [illegible]

डिक्री मुर्तिब की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

(अजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:30:34 IST
Reason: SelfAttested